कार्यालय जिला परिवहन पदाधिकारी रोहतास, सासाराम।

पत्रांक 1461 /परि0, दिनांक 19.12.18

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
जिला – रोहतास।

विषयः– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 410 दिनांक 10.12.2018 के आलोक में वितीय वर्ष 2018–19 मे " मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" हेतु राशि के उपावंटन के संबंध मे।

प्रसंगः– सचिव परिवहन विभाग, बिहार, पटना का स0स0 – 03/प्र0 बजट आवंटन (3055) – 26/2018 पत्रांक 53 दिनांक 10.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वितीय वर्ष 2018–19 में " मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के कार्यान्वयन हेतु रोहतास जिला को प्राप्त कुल – 34500000.00 (तीन करोड़ पैंतालिस लाख) रुपय को रोहतास जिलान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्वीकृत आवेदनों की संख्या के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुरुप उपावंटित किया जाता है।

यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 – एम–4–05/98–2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

इस उपावंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, जों उपावंटित राशि की निकासी एवं व्यय विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 410 दिनांक 10.12.2018 मे निहित अनुदेश के अनुरूप करेंगे तथा लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान विभागीय अधिसूचना सं0 823 दिनांक 05.09.2018 के आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान न हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में RTGS के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं बिक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से त्रृण लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के त्रृण भुगतान में किया जाएगा।

इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग सं0 अनिवार्य रुप से अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ग से हो सके।

वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय – समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रुप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपवांटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति मे आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाय, तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाए, अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपवांटित राशि का उपयोग होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0नं0, तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19/12

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम

ज्ञापांक 1461 दिनांक 19.12.18

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सासाराम/डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम/डिहरी/बिक्रमगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस आवंटनादेश को रोहतास, सासाराम के बेवसाईट पर अपलोड किया जाए।
प्रतिलिपि– जिला कल्याण पदाधिकारी रोहतास, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/12

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम।

जिला परिवहन कार्यालय, रोहतास सासाराम
आवंटन विवरणी–1
आवंटन – मार्च 2019 तक

क्र.स.	प्रखंड का नाम	अनुदान की राशि			कुल योग
		विपत्र कोड			
		मुख्यशीर्ष –3055–सड़क परिवहन–उप–मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता–उपशीर्ष–0101–मुख्य मंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33.01. सब्सिडी	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड– 47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01.सब्सिडी	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उपशीर्ष–0101– मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड– 47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33.01.सब्सिडी	राशि रु0 में
1	2	3	4	5	6
1	नोखा	900000	900000	–	1800000
2	सासाराम	1500000	3300000	500000	5300000
3	करगहर	1300000	2300000	200000	3800000
4	कोचस	700000	1700000	200000	2600000
5	चेनारी	300000	1000000	600000	1900000
6	शिवसागर	1500000	2600000	400000	4500000
7	डिहरी	400000	500000	–	900000
8	अकोढ़ीगोला	700000	1200000	–	1900000
9	तिलौथू	500000	600000	–	1100000
10	रोहतास	500000	400000	400000	1300000
11	नौहट्टा	600000	300000	–	900000
12	राजपुर	300000	600000	–	900000
13	दिनारा	300000	800000	100000	1200000
14	काराकाट	400000	600000	100000	1100000
15	दावथ	600000	1400000	–	2000000
16	संझौली	100000	800000	100000	1000000
17	बिक्रमगंज	100000	400000	100000	600000
18	नासरीगंज	400000	1100000	–	1500000
19	सूर्यपूरा	–	200000	–	200000
कुल योगः–		11100000	20700000	2700000	34500000

(कुल रु0 तीन करोड़ पैंतालिस लाख मात्र)

19/12

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम।